(18)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R. 4367-तीन/13

R-4367- III/13

हीरालाल गुप्ता तनय श्री भागीरथी गुप्ता, उम्र 68 वर्ष, पेशा सेवा निवृत्त नौकरी, निवासी ग्राम पुर्वा 310 (गंगेव), तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.) हाल मुकाम सतना रोड अमरपाटन, जनपद पंचायत के पास, तहसील अमरपाटन, जिला सतना, (म.प्र.)

2. प्रेमलाल गुप्ता तनय भागीरथी गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, पेशा व्यवसाय, निवासी ग्राम पुर्वा 310 (गंगेव), तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.)

3. मोहनलाल गुप्ता तनय भागीरथी गुप्ता, उम्र 57 वर्ष, पेशा व्यवसाय, निवासी ग्राम पुर्वा 310 (गंगेव), तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. रामलाल गुप्ता तनय भागीरथी गुप्ता, उम्र 54 वर्ष, पेशा व्यवसाय,
2. पंचमलाल गुप्ता तनय भागीरथी गुप्ता, उम्र 47 वर्ष, पेशा व्यापार,
दोनो निवासी ग्राम पुर्वा 310 (गंगेव), तहसील मनगवां, जिला रीवा, (म.प्र.)
3. श्यामकली पुत्री भागीरथी गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, पेशा घरुकार्य, निवासी ग्राम खाम, तहसील .... जिला सीधी, (म.प्र.)
4. पंचवती पुत्री भागीरथी गुप्ता, उम्र 27 वर्ष, पेशा घरुकार्य, निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.)

हीरालाल गुप्ता / रामलाल गुप्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 4367/III/2013 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.4.2014	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 63/अ-6/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-2013 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने बताया कि आवेदकगण एंव अनावेदकगण आपस में सगे भाई-बहिन हैं । पिता की मृत्यु उपरांत वारिसाना नामान्तरण हुआ, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ के समक्ष अपील की गई अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलांट स्वयं मुकदमे की पैरबी कर रहा था जिसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 30.6.11 को अपीलांट पंचमलाल के हस्ताक्षर हैं जिस पर आगामी पेशी 12-8-11 दी गई। दिनांक 12-8-11 को सामूहिक पेशी बढ़ाई गई और 17-8-11 की पेशी दी गई । इस दिन अपीलांट के अभिभाषक अनुपस्थित रहे। दिनांक 25-8-11 को कईवार आवाज लगाने पर अपीलांट एंव अभिभाषक अनुपस्थित रहे तथा प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया गया। अनावदेकगण के अभिभाषक ने गलत आधार देकर पुर्नस्थापन आवेदन 35 (3) का टाइमवार्ड दिया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी	

[signature] 9/4/14

ने स्वीकार करने में गलती की है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर सुनवाई की जावे व अधीनस्थ न्यायालीय का अभिलेख मंगाया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत प्रारंभिक तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ के आदेश दिनांक 31.8.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत संहिता की धारा 35(3) का पुर्नस्थापन आवेदन इसलिये स्वीकार किया है क्योंकि पेशी 30.6.11 को अनावेदकगण के अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित रहे उसके पश्चात दिनांक 12.8.11 को सामूहिक पेशी बढ़ाई गई है अर्थात प्रकरण की आर्डरशीट अनावेदकगण अथवा उनके अभिभाषक के सामने नहीं लिखी गई। इसके वाद 17–8–11 की पेशी के दिन पीठासीन अधिकारी न्यायालय में मौजूद नहीं थे और 25–8–11 को रीडर व्दारा पेशी नियत की जाकर प्रकरण अदम पैरबी में खारिज हुआ। प्रथमतः रीडर व्दारा दी गई तारीख पेशी अमान्य रहती है। यदि न्यायालय में पैरबी हेतु नियुक्त अभिभाषक ने त्रृटि की है तब ऐसी त्रृटि का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगताया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ ने आदेश दिनांक 31–8–13 से प्रकरण पुर्नस्थापित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। वैसे भी आवेदकगण एंव अनावेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना–अपना पक्ष

हीरालाल/रामलाल-रीवा

निगरानी क्रमांक : 4367/III/2013

रखने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31–8–13 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर